न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (R.A.S.) प्रकाश चन्द्र रेगर उपखण्ड अधिकारी अरनोद

प्रकरण सं० – 44/20 दायर तारीख – 2-9-20

1. रमजु पिता वजींगा
2. कारु लाल पिता वजींगा
3. सोहन लाल पिता वजींगा
4. हिरालाल पिता वजींगा
5. बिरु लाल पिता वजींगा
6. अलकु बाई बेवा वजींगा
7. शांतिलाल पिता सुरजमल
8. मंगली बाई बेवा सुरजमल
9. प्रेमा बाई पिता सुरजमल
10. लक्ष्मी बाई पिता सुरजमल ना.बा. सं.प. माता मंगली बाई बेवा सुरजमल सभी नि० लालपुरा तह० अरनोद (प्रार्थीगण)

बनाम

1. आशाराम पिता रामा
2. लालुराम पिता गोतीया
3. बाबरिया पिता कमजी
4. नेरजी पिता कमजी
5. बाबरु पिता बाबरिया पिता कमजी मीणा
नि० लालपुरा, त० अरनोद
6. तहसीलदार अरनोद

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित –

श्री अर्जुन वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थीगण

–: प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा - 212 आर.टी. एक्ट :–

• निर्णय • दिनांक – 30/3/21

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य यह है कि प्रार्थीगण ने

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद.

वाद विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 209 आर.टी. एक्ट पेश कर रखा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। जिनके नाम से मौजा अरनोद में खाता नं. 52 में आराजी नं. 108, 109, 112, 118, 50, 59 कुल किता-6 कुल रकबा 7.05 हैक्टर०, मौजा अचलावदा में खात सं. 103 आ० नं. 1625 रकबा 1.19 है० मौजा लालपुरा खाता. 32 में आ० नं. 19, 20, 30, 33, 34, 35 कुल किता 6 कुल रकबा 2.26 हैक्टे० दर्ज रिकॉर्ड है। मौजा लालपुरा में गोवरिया के पुत्र गोतीया के नाम खाता सं. 33 आराजी० नं. 144/30, 21, 22, 23, 29 कुल किता 5 कुल रकबा 1.31 है० दर्ज है। जोकि पुश्तैनी होकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है

मौजा अरनोद के खाता सं. 52 जमाबंदी संवत 2022-25 के अनुसार नये खाता सं. 33 आराजी नं. 73, 83, 89, 95, 96, 149 कुल किता 6 कुल रकबा 33 बीघा। बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिताओं के नाम खा० सं. 580 से दर्ज हुयी। इसी प्रकार अचलावदा की खाता सं. 103 गोवरिया पिता दीपा के नाम दर्ज होगयी जिसकी खाता सं. 49 आ० नं. 616 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा है।

मौजा लालपुरा के खाता सं. 32 पर दर्ज आराजी नं. पुराने नम्बरो से मिलकर बना जो जमाबंदी सम्वत 2032-34 के अनुसार खाता सं. 39 आ० नं. 616, 76/39 कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा एवं लालपुरा की खाता सं. 33 से जमाबंदी 2031-34 अनुसार खाता सं. 5 आ.नं. 77/40 रकबा 5 बीघा, खाता सं. 21 आ. नं. 88 रकबा 1 बीघा है।

उक्त आराजी के पुराने खाते क्रमांक 5 व 21 गोतीया पिता गोवरिया के नाम बड़े होने के कारण दर्ज हो गयी जबकि आराजी शामलाती है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का बराबर हक-हिस्सा है।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद.

इसी प्रकार मौजा अरनोद की खाता सं. 701 आराजी नं. 2206/58 रकबा 0.10 है., खाता सं. 881 आराजी नं. 60 रकबा 0.20 है. है। 701 आशाराम पिता रामलाल व मानती पत्नी रामलाल के नाम तथा 881 लालुराम पुत्र गौतम के नाम दर्ज है। जोकि मौरूसी आराजी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का बराबर हक हिस्सा निहित है।

प्रार्थना-पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी सं. 1 लगा. 6 का $\frac{1}{21}$ - $\frac{1}{21}$, प्रार्थी सं. 7 लगा. 10 का $\frac{1}{84}$ - $\frac{1}{84}$ व अप्रार्थी सं. 1 व 2 का $\frac{1}{6}$ - $\frac{1}{6}$, अप्रार्थी सं. 3 लगा. 5 का $\frac{1}{9}$ - $\frac{1}{9}$ हक व हिस्सा बनता है। उक्तानुसार बँटवारे हेतु अप्रार्थीगणों से कहा तो इन्कार करने पर प्रार्थना पत्र पेश किया।

उक्त आराजियात (च. सं. 3) अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण के बीच आये-दिन विवाद होता रहता है। अप्रार्थीगण - प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने की नियत से झगड़ते है। इसी को लेकर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगणों को शांति भंग के आरोप में पाबंद करवा दिया और कब्जे को लेकर इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया तब उक्त वाद पेश किया।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण के हक व हिस्से की आराजियात में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत ना करे और न अन्य से करावे। आराजी को खुर्द-बुर्द न स्वयं करे न अन्य से करावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 24.9.20 को अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 उप. आये परन्तु 18-11-20 को अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लायी जाकर पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

अपनी ~~बहस~~ में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अरनोद, अचलावदा, लालपुरा में स्थित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी है। गोतीया के बड़े होने के कारण उसके नाम दर्ज हो गयी जबकि वर्तमान में भी उभयपक्ष हक-हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जावे।

मैंने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर अध्ययन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण पर मनन किया। जमाबंदी सम्वत् 2021-24 खाता सं. 48 रकबा 5 III)3 मौजा लालपुरा गोबरिया पिता दीपा वा. देह तथा जमाबंदी सम्वत् 2022-25 पर खातेदार गोबरिया पिता दीपा वा. देह लालपुरा कुल किता 6 कुल रकबा 33)1 अंकित है। उक्त दस्तावेजों से ये दोनों बाते पुश्तैनी प्रमाणित होते है तथा शेष आराजियात दस्तावेजों से गोतिया को आवंटन से प्राप्त हुयी है जो वाद पत्र की चरण संख्या-3 में प्रार्थीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः प्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी आराजियात मे हक-हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है न कि आवंटित भूमि में से।

निष्कर्षतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि ~~मौजा के~~ मौजा लालपुरा की गोबरिया पिता दीपा की खातेदारी उक्त आराजीयात जो कि मौरूसी है पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वो किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। अन्तरण इत्यादी न करे।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ न. थी हो

P.T. उपखण्ड अधिकारी

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सु[illegible]

गया।

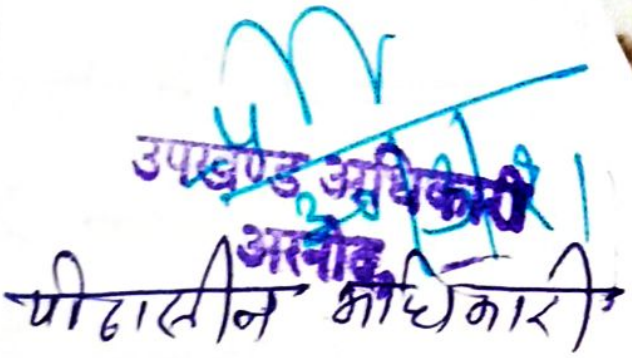

उपखण्ड अधिकारी
आसींद
पीठासीन अधिकारी